भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3414
दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

शल्यचिकित्सा उपकरणों का आयात

3414. डॉ. राजश्री मल्लिक:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चिकित्सा उपकरणओं, शल्यचिकित्सा आपूर्तियों और उपकरणओं की मांग का 70 प्रतिशत विदेशों से आयात किया जाता है;
(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान आयातित मदों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार विशेषकर ओडिशा राज्य में चिकित्सा उपकरण पार्क की स्थापना की योजना बना रही है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
रसायन एवं उर्वरक मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया)

(क): जी, हां।

(ख): कुल आयात की शीर्ष 5 श्रेणियों को बनाने वाले चिकित्सा उपकरणों की स्थिति इस प्रकार है:

श्रेणी-वार आयात (मिलियन अमरीकी डॉलर में मूल्य)				
क्र.सं.	**खंड़**	**वित्त वर्ष 2018-19 में आयात**	**वित्त वर्ष 2019-20 में आयात**	**वित्त वर्ष 2020-21 में आयात**
1	इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण	3676.64	3646.53	3568.64
2	सर्जिकल उपकरण	190.18	180.10	103.62
3	उपभोग्य और डिस्पोजेबल	966.10	1076.23	1470.77
4	आईवीडी रीएजेन्ट्स	482.73	527.20	871.89
5	प्रत्यारोपण	384.79	415.35	225.63
	कुल	**5700.44**	**5845.41**	**6240.55**

(ग) से (ङ): औषध विभाग ने दिनांक 21.07.2020 को "चिकित्सा उपकरण पार्कों का संवर्धन" योजना को अधिसूचित किया है। इस योजना का कार्यकाल वित्त वर्ष 2020-2021 से वित्त वर्ष 2024-2025 तक है।

"चिकित्सा उपकरण पार्कों का संवर्धन" योजना के तहत, औषध विभाग को 16 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों से वित्तीय सहायता की मांग करने वाले प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन प्रस्तावों के मूल्यांकन करने के बाद, सरकार ने दिनांक 24.09.2021 के पत्र के माध्यम से 4 चिकित्सा उपकरण पार्कों अर्थात हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए साझी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया है।

****